584

प्रेषक,

संख्या–4155/X–2–2016–12(31)2012

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–27 अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजना "रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेंट" हेतु पूंजीगत पक्ष में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या नि0 274/3–5(रिसर्च टैक्नोलौजी) दिनांक 05.08.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना **"रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेंट"** हेतु पूंजीगत पक्ष में **₹75.00 लाख (₹ पिचहत्तर लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त धनराशि से उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 05.08.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रभागवार एवं कार्यस्थलवार एक्शन प्लान अनुसार ही कार्य कराये जायेंगे। यदि अपरिहार्य कारणों से उक्त एक्शन प्लान में संशोधन किया जाना हो तो संशोधन के कारणो सहित शासन के संज्ञान मे लाया जायेगा तथा शासन की सहमति उपरान्त ही एक्शन प्लान संशोधित किया जायेगा।
2. धनराशि व्यय करने से पूर्व प्रस्तावित कार्यों के आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
3. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–847/XXVII(1)/2015 दि0 26.07.16 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये तथा धनराशि का आहरण करने से पूर्व वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण और औचित्य पर सक्षम स्तर से निर्णय कर लिया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
5. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
6. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
9. आहरण एवं व्यय के समय मितव्ययता का ध्यान रखा जायेगा।
10. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की प्रगति तथा उद्देश्य की पूर्ति संतोषजनक है।
11. यदि किसी निर्माण कार्य की टी0ए0सी0 करायी जानी हो तो निर्माण कार्य हेतु एस0ओ0आर0 आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण तथा वित्तीय/प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा।
12. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–638/XXX–1–12(25)2011, दि0 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 4406–वानिकी और वन्यजीवन पर पूंजीगत परिव्यय, 01–वानिकी, 800–अन्य व्यय, 06–रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेंट के मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट ID संख्या–S1612270487 दिनांक 27.12.2016 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0–78(P)/XXVII(4)/2015 दि0 21 दिसम्बर 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–4155/X–2–2016–12(31)2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

C:\Bhupendra Joshi\2016-2017\Plan G.O..docx

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **4155/X-2-2016-12(31)2012**

अलोटमेंट आई डी - **S1612270487**

अनुदान संख्या - **027**

आवंटन पत्र दिनांक -27-Dec-2016

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक

4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

01 - वानिकी

800 - अन्य व्यय

06 - रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट

00 - रिसर्च एवं टैक्नोलोजी डेवलपमेन्ट

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	7500000	7500000
	0	**7500000**	**7500000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 7500000